

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री गोपाल कुमार सिंह, पता: मधुरपुर बिचला टोला वार्ड नं०. 25 पी०ओ० + पी० एस०-तेघरा, जिला-बेगुसराय (बालू खनन परियोजना ब्लॉक: 46, गया लीलाजन नदी बालू घाट-12, 13, 14 एवं 15, ग्राम-भेलवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा, अंचल-डोभी जिला-गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 01.08.2023 को अपराह्न 02:15 बजे अंचल कार्यालय, डोभी, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2361/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक 01.08.2023 को अपराह्न 02:15 बजे अंचल कार्यालय, डोभी, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बालू खनन परियोजना ब्लॉक: 46, गया लीलाजन नदी बालू घाट-12, 13, 14 एवं 15, ग्राम-भेलवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा, अंचल-डोभी जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

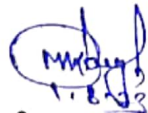
लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितिश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शिव कुमार यादव, पता: पंचरतन, डोभी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को कम दर पर बालू उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किन्ही को बालू उपलब्ध कराया जायेगा। इसप्रकार श्री शिव कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री धनंजय कुमार, पता: खरांटी, जिला: गया।	इनके द्वारा नदी में बालू का खनन कितने गहराई तक करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का खनन, खनन क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। इसप्रकार श्री धनंजय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

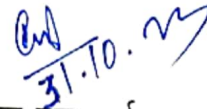
3.	श्री राजन खान, पता: करमौली, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने, धूल-कण की रोकथाम एवं पेड़-पौधे लगाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी को करना है, बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा तथा इस परियोजना अवधि में लगभग 500 से 600 वृक्षारोपण लेसी को करना है। इसप्रकार श्री राजन खान को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रूपेश कुमार, पता: बरीया डोभी, जिला: गया।	इनके द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री रूपेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री मुकेश कुमार यादव, पता: डोभी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू घाट पर खनन के दौरान पानी का स्तर नीचे भाग जाता है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्थानीय लोगों के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोरिंग एवं जगह-जगह पर पंखाला की भी सुविधा दी जायेगी। इसप्रकार श्री पप्पु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दिये गये सुझाव को गम्भीरता से विचार करते हुए बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटों पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



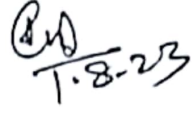
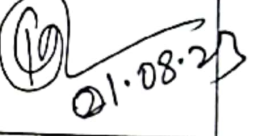
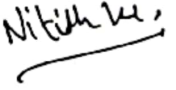
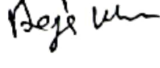
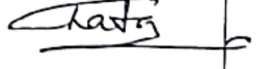
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया



अपर समाहर्ता,
गया

उपस्थिति सूची

श्री गोपाल कुमार सिंह, पता: मधुरपुर बिचला टोला वार्ड नं०. 25
पी०ओ० + पी० एस०-तेपरा, जिला-बेगुसराय द्वारा गया लीलाजन
नदी बालू घाट-12, 13, 14, 15, ग्राम-भेलवा, अमरुत, बरिया,
हरदावन, घाराघाट, गोबरदिहा, अंचल-डोभी जिला-गया का
प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक:
01.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, डोभी,
जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित
महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजलि कुमार	अपर सगहरी, गमा-	 1.8.23
2.	Manoj Kumar Kumari	R.O B. & P. C. Bouda, Gaya	 1.8.23
3.	Rajani Kant	C.O. Dobhi	 1/8/23
4.	Kashif Kamal	Dist. Minisry Bte Gaya	 01.08.23
5.	Nitish Kumar	Cognitive Research India Pvt. Ltd. (Env. consultant)	 Nitish K.
6.	Rajesh Kumar 9113316385	Villager Karmauri	 Rajesh Kumar
7.	Mr. Buland Akhtar Khan 9113316385	Village Karmauri	 Buland Akhtar Khan
8.	Suhama Parveen	Village Karmauri	 Suhama Parveen
9.	Harish Chandra 9661020048	Vill : Longmura	 Harish Chandra

10.	विश्वनाथ नादन 58734/783	मीमिया	हर
11.	Urmila Pandey	Lemboga	
12.	डॉ. डी. डी. Doman yadav	Rathi	
13.	गौणस उन्नावले	वेरुनाथ	
14.	डा० मुकेशकुमार	ग्राम + पोस्ट + थाना डोगी जिला - गया	Upal Kumar Singh Km
15.	विश्वनाथ कुमारी	उत्तरांचल + पोस्ट रोड गया जिला गया	12
16.	गिरधारी कुमारी	गौरीगढ़ मिरा	हर
17.	सतीश कुमारी बिहार प्रान्त	डोगीगढ़ डोगी मसौदा	विश्वनाथ
18.	सतीश कुमारी	डोगीगढ़ डोगी	Scatish Kumar
19.	रूपेश कुमारी	बरेली	रूपेश कुमारी
20.	Hamless wadd	पोली	हर

21.	पप्पु कुमार	गोडगरी	Rakky Kumar
22.	महु-गुग माद	गामपेठ माद	महु-गुग माद
23.	Naresh Kumar	Madanagar	Narshun
24.	Sunya Bhatt	दांडाघाट	Qunye.
25.	पंकज सिंह	दांडाघाट	P.KJ
26.	जामीरा यादव	बमनदेव	
27.	अरिक्तेरा कुमार	डोमरी	अरिक्तेरा कुमार
28.	शिव कुमार मात	पचरन	शिव कुमार मात
29.	चन्नगम कुमार	रताराई	चन्नगम कुमार
30.	किंकल कुमार	हरदावत	हल कुमार
31.	विशाल कुमार	अमाद	विशाल कुमार

32.	राजकुमार भादप	दादासा	Rajkumar
33.	Anand	मनमय	A
34.	Bhabe	Amaret	Bh
35.	Mukesh Kumar	Angre	
36.	Sandem	Bijal	Sandem
37.	Muskan Kumari	Neema	Muskan Kumari
38.	Sunita Devi	Biyya Devi	Sunita Devi
39.	Kina Devi	Neema	Kina Devi
40.	कलश मिश्री	माता देवदास यांना करचाली संपत्ती जमा	कलश मिश्री
41.	सुमिता देवी		सुमिता देवी
42.	सहदेव यादव		सहदेव यादव

43.	वीरेश मोहन	मुहूर्त	
44.	नागेश दीव	मुहूर्त	नगीना फेंकी
45.	Amit Kumar	Amarudh	AB
46.	Prakash Rao	Dobhi	
47.	Chodan Kumar	Dochhe	Chodan Kumar
48.	जितेंद्र सिंह	जिठरी	जितेंद्र सिंह
49.	राज कुमार	राजी	राज कुमार
50.	Nandkishor Kumar	Samratya	Nandkishor Kumar
51.	AKASH K	Kurmanwan	Akash K
52.	Harsh Kumar	Cognitive Research India Pvt Ltd	Harsh 9/8/23
53.			

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2008 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:-

1. श्री गोपाल कुमार सिंह, पता: मधुरपुर बिचला टोला वार्ड नं०. 25 पी०ओ० + पी० एस०-तैयरा, जिला-बेगुसराय द्वारा गया लीलाजन नदी बालू घाट-12, 13, 14, 15, ग्राम-भेलवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा, अंचल-डोभी जिला-गया; एवं
2. मेसर्स महारानी सर्विसेज, प्रस्तावक: रवि भांकर सिंह, निवासी-न० अच०2, मौलानाचक, मोरघाटी, जिला-गया द्वारा गया ढाढ़र नदी बालू घाट-01, 02, 03, 04, ग्राम-रेउल, गोबिन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महुगन, अंचल-मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर, जिला-गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाइट <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
1.	01.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	डोभी जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत भेलवा, अमरुत, बरिया, हरदावन, घोराघाट, गोबरदिहा,	गया लीलाजन: 12, 13, 14, 15	अंचल कार्यालय, डोभी, जिला-गया
2.	02.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	मुहर, वजीरगंज, मेसकाऊर और फतेहपुर जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत रेउल, गोबिन्दपुर, जामुआवन, केनर पहरपुर, मिर्जापुर, पटोरी, ट्रेलर, अमीन, बरकैल और महुगन	गया ढाढ़र: 01, 02, 03, 04	अंचल कार्यालय, मुहर, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

सदस्य-सचिव



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट - <http://bspcb.bihar.gov.in>

